विविध **बैंक प्रकरण संख्या 01/2022**(GCMS : **2022/5**) **ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड** जिसका पंजीकृत कार्यालय 4th फ्लोर, फेज–II, स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउण्ड रोड़, अन्ना सलाई, चेन्नई – 600002, तमिलनाडू तथा **शाखा कार्यालय–होटल एप्पल ईन के सामने,** निर्माण नगर, अजमेर रोड़, डीसीएम, **जयपुर– 302019** राज. में स्थित **बनाम 1. श्री बगीचा सिंह गिल** पुत्र श्री सुखदेव सिंह पता – 9 एफएफ, बड़ोपल, करणपुर, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान – 335073 **2. श्रीमती सुखजीत कौर** पत्नि श्री बगीचा सिंह गिल, पता 9 एफएफ, बड़ोपल, करणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान – 335076

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.09.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री महादेव मिढा एवं श्री मनीष कुमार भारद्वाज उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 12.12.2021 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण बगीचा सिंह गिल एवं सुखजीत कौर को ऋण सुविधा के रूप में 5.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये पांच लाख मात्र) का ऋण दिनांक 30.03.2019 स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुखजीत कौर की **सम्पत्ति पट्टा नं. 39 (क्षेत्रफल 2592 वर्गफीट), ग्राम 9–एफएफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान** को प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है, जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 04.06.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 04.06.2021 को 5,28,687/– रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्च अतिरिक्त के बकाया है **जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस** दिनांक **21.06.2021** को उक्त बकाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 26.06.2021 को भिजवाये गये है तथा नोटिस प्राप्ति की ऑनलाईन ट्रेक के अनुसार अप्रार्थी ऋणी को नोटिस प्राप्त हो गया है **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी सुखजीत कौर द्वारा प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी अपनी **सम्पत्ति पट्टा नं. 39(क्षेत्रफल 2592वर्गफीट) ग्राम 9—एफएफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैंने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण बगीचा सिंह गिल एवं सुखजीत कौर** को 5.00/— लाख रूपये (अखरे रूपये पांव लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति 30.03.2019 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुखजीत कौर की **सम्पत्ति पट्टा नं. 39 (क्षेत्रफल 2592वर्गफीट), ग्राम 9—एफएफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 04.06.2021 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 21.06.2021 को जारी किये गये है तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 26.06.2021 को भिजवाये गये है, जसकी तामिल के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस की ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील हो गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी सुखजीत कौर द्वारा अपनी **सम्पत्ति पट्टा नं. 39 (क्षेत्रफल 2592 वर्गफीट), ग्राम 9—एफएफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वितिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 21.06.21 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 21.06.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 26.06.2021 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही **शपथ[illegible]अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत** [illegible] की एवज में ऋणी सुखजीत कौर के द्वारा प्रार्थी बैंक के पा[illegible] बंधक रखी गई संपति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी सुखजीत कौर की सम्पत्ति पट्टा नं. 39 (क्षेत्रफल 2592वर्गफीट), ग्राम 9—एफएफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त वल सम्पति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.10.17 13:09:17 IST
Reason: SelfAttested